

IN THE COURT OF THE 2ND ADDL SESSION JUDGE AT DURG

Sess. Case : 233/92

State of Madhya Pradesh

v/s

Chandrakant Shah & others ... Accussed.

*A.P.H. on
encl. afft
trial court set
1
6-6-95*
Application on behalf of Chattisgarh Mukti Morch
Praying ~~af~~ for decorum in the precincts of the
Court room during the trial.

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

1. The above matter is being heard before this Hon'ble Court.
2. That from 7.7.93 to 31.1.95 the proceedings were held in camera. The overbearing presence of the accused persons was apparent during those days. It was under those conditions that the applicants filed a petition before the Hon'ble High Court asking for an trial in Open Court. The Hon'ble High Court vide its order dated 17.2.95 in W.P. 152 of 1995 directed that the trial be held in Open Court.
3. That the purpose of having Open Court is that justice is administered in the interest of all and the highest in the land together with the lowest may enter the temples of justice without hesitation and with prayerful humility. This point has been made in case after case by the Supreme Court and in all courts of democratic countries.

*Recd (Copy)
Dhrivech
Shah
Chandrakant*

*I
Received
Copy
(by
affidavit)*


That it is indeed strange that the trial of a legendary trade union leader such as Shaheed Shankar Guha Neogi was held in camera at all.

4. That members and supporters of Chhattisgarh Mukti Morcha have been attending the trial and have a right to sit and watch the proceedings to have access to the place of trial. However, it is unfortunate that from the beginning the Presiding Judge has allowed the accused to sit along with the advocates on the bench instead of making them sit in their appropriate place.
5. That this Hon'ble Court had passed an order on 31.1.95 giving permission to the accused to sit. However, this does not include the right of the accused to sit with the lawyers and the general public.
6. That the accused have been allowed to address the court directly by shouting out comments, and have been seen chewing tobacco, passing around sweat-meats, coconut and money.
7. That on May 23, 1995 the members of Chhattisgarh Mukti Morcha came to attend the trial. They were rudely made to get up from the benches and the persons accused of murder of Comrade Neogi were given their seats.
8. That the Applicant submits the following six affidavits :-
 - a) Smt Sumrit Bai
 - b) Shri Ram Bharose
 - c) Smt Urmila Bai
 - d) Smt Mana Bai
 - e) Smt Dulari Bai

Stating how deeply distressed they have been at the way the proceedings have been conducted and whether it is a reflection of a bias of the legal system to treat the workers and revolutionaries with such contempt and criminals with such respect.

9. That it is respectfully prayed that this Hon'ble court make arrangements for more benches for the public and direct that the accused sit in their proper place and maintain proper decorum.

Niraj Verma
Advocate for
Chhattisgarh Mukti Morch



सुप्रीम कोर्ट पुस्तकालय, नोटरूड, वॉल्पूर (मुम्बई)

शपथ - पत्र : -

मैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर सुरक्षा न, उम्मीद साल अधिकारी राजेश नारा, एफसीएसी० चौक, भिकाही० त०० ज़िला वॉल्पूर निम्न क्षेत्र कथन रमण्यवाक् करती हूँ : -

(१) यह कि मैं उपरौक्त पत्र पर अधिकारी करते हूँ तथा छत्तीसगढ़ प्रशिक्षणालय की संवैधानिकता हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शर्वीद शंकर गुहा अंगौरो जी की हत्या हो जा से उत्पन्न प्रकरण शासन विवेद घट्टकीत शाह पर्व अख्यानीय अंतिमित सब अधिकारी के सम्मान विवाहा के लिये लंबित है।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ कौन्सी विवरणकर भिकाही० अंगौरो जी के लिये विवरणकर भिकाही० के मालिक छवारा मजदूरों के अमानीय शोषणा रूपके हम मजदूरों को सर्वानुभव करने वाला शहीद अंगौरो जी की हत्या से सर्वानुभव खोने के कारण उपरौक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अंत महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरौक्त प्रकरण की सुन्नवाई बंद करने भैं बलाने के अदालतीय आदेश से मुक्त निशा हुहूं थीं तो केवल उक्त अधिकारी के आदेश छवारा प्रकरण की सुन्नवाई पुनरुत्तर दुला अदालत भैं बलाने से न्याय अंगौरो जी के द्वारा उपरौक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अंत महत्वपूर्ण है।

(५) यह कि उपरौक्त परिस्थिति में अंगौरो जी की अदालत २४-५-६५ को उक्त प्रकरण की सुन्नवाई होने पर भैं भी अदालत का भैं उपाधित हुआ था, जो भैं पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपणाणा अदालत की देवी पर भैं हुए हैं पर्व मुसाजिम कठवरा (Accused Boy) लाली था, जबकि छत्तीसगढ़ अधिकारी के संवैधानिकता के संबंध अनेक मजदूर और यही तम वह वकील महोदय लोग भी लड़े थे।

(६) यह कि न्याय की हुद्दी के बाद अदालतीय कार्यवाही हुहूं होने पर भैं अदालत का भैं रखी गई देवी पर भैं गया था पर्व मुक्त अभियुक्तानोंव पुलिस की मिल्ड भैं बिठाने के लिये देवी से उठा दिया गया।

२४-५-६५ यह कि उक्त प्रकरण की सुन्नवाई के दौरान अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ अधिकारी के सर्वानुभव मजदूर सामियाँ को अदालत का भैं बिठाने की अवस्था हुई, प्रस्तुत आदेश के सम्बन्ध में यह रमण्यवाक् प्रस्तुत है।

रमण्यवाक्,

सत्यापन : - मैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर सुरक्षा न, सत्यापिता करते हूँ कि रमण्यवाक् की काण्डका १ से ७ तक के सम्बन्ध कथन मेरो जानकारा से गहरा है, अंत आज दिनांक २४-५-६५ को पढ़ाया, समझ कर अनुमति दिलाया गया।

रमण्यवाक्

मैं अधिकारी को पढ़ाया हूँ।

(Signature)
(N. Samji)

(Signature)
अधिकारी

~~27/11/1995~~

~~STATE OF GUJARAT~~


~~27/11/1995~~

W.P. REGISTRATION NO. 1000
D. SAMJI & CO. (Advocates)
D. SAMJI & CO. (Advocates)
24/15/95

S. P. Digrasal

24/15/95





संक्षात् श्रीमान् पाल्कल् नीटीरु, कुर्णा (मध्यू)

- शपथ - पत्र :-

मैं रामराज्या आत्मजगयाराम, उमे ३४ साल, साक्षिन मुख्य, तसील व ज़िला कुर्णा
निष्पत्तिसित कथन शपथमूर्खक करता हूँ : -

(१) यह कि मैं उपरौक्त पत्र पर निष्पास करता हूँ तथा हृत्तीसगढ़े मुकितमीचा
को सदस्य हूँ ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियंगणी जी की हत्या हो जाने
से उत्तमन प्रकरण शिक्षन विद्वन चन्द्रकीत शाह एवं अब माननीय १०८तीय अतिरिक्त
सत्र व्यायाधीश के सम्मा विचारणा के लिये लोकित है ।

(३) यह कि हृत्तीसगढ़े हौत्र मैं विशेषका भिलाइ शांघीगिक हौत्र मैं स्थित
कारखाने के मालिकी छाता रा मजदूरों के अमान्यता शिक्षण रोकने हए मजदूरों को
सर्वठित करने वाला शहीद नियंगणी जी इत्यादि से अधिक होने के कारण उपरौक्त
प्रकरण मैं लिये तथा आम जनता के लिये अतिरिक्तपूण्ड है ।

(४) यह कि उपरौक्त प्रकरण की सुन्नाइ बंद करने मैं चलाने के अदालतीय
शाकेल से उक्त प्रकरण हुँ थीं लोकन उच्च व्यायालय के शाकेल प्रकरण की भौतिकी
सुन्नाइ पुनः लुले अदालत मैं चलने तक चाप रखने की भौतिकी उपर्युक्त मजदूत हुँ है ।

(५) यह कि उपरौक्त परिस्थिति मैं भौतिक दिनीक २४-५-६५ को उक्त
प्रकरण की गुन्नाइ होने पर मैं मैं अदालत कदा मैं उपस्थित हुआ था, जर्दी मैं
पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के शारोपीणा अदालत की देखी पर ऐसे
हुए हैं एवं मुलजिम कटघरा (Court House) लाली था जबकि हृत्तीसगढ़े
मुकितमीचा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक वहाँ वक़ील महोदय लोग भी रहे थे ।

(६) यह कि चाप की छुट्टी के बाद अदालतीय कार्रवाई शुरू होने पर भौ
अदालत कदा मैं इसी गहरे देव पर छेठ गया था एवं मुझ शम्भुलगण व पुलिस
कर्मियों को छेठने के लिये देव से उठा किया गया ।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुन्नाइ के दौरान शांघीकरताओं एवं हृत्तीसगढ़े
मुकितमीचा के संघीधित मजदूर समर्थ्यों की अदालत कदा मैं छेठ के देव विवरण देतु
पुनः आसे कम केरार्फिन मैं पर शपथमूर्खप्रस्तुत हूँ ।

२०१३/२१२॥

२१२

२१२

२१२

२१२

२१२

२१२

गलापन : - मैं रामराज्या आत्मजगयाराम, नियंगणी सुखद, रामकर्ता नियंगणी दिनीक
हूँ एवं शपथमूर्ख को जाप्तामि ८ तो ७ तामि अप्यन भौतिक जानकारी देव वक़ील, एवं आप
दिनीक २४-५-६५ को पढ़ाइ, सम्फ़ कर अना वस्ताइरु, कुर्णा मैं कर अप्ता ।

स्टॉप ऑफ

21219R

स्टॉप ऑफ

गोपनीय अधिकारी 352

मुख्य सचिव

क्रमांक 1
संदर्भ मुद्रित

गोपनीय

मुख्य 2415195

गोपनीय

S.P. D.G.Rao

गोपनीय


Sonjiri

D.Sonjiri

Dewool

2415195





मुक्ता: श्रीमन्नाहूल चंद्रेरौ, वाराणसी

- शपथ - पत्र :-

मैं, उमिंसा बाई जीजे शुक्रन, उम्म 32 साल की आयोगी पर्याप्त चाक, मिसाह तहसील वाजिला कुर्दा नाम्नलिखित शपथपूर्वक अवृत्ति हूँ:-

(१) यह कि मैं उपरौक्त पत्र पर क्रास करते हूँ तथा छत्तीसगढ़ गुवितमौर्चा को सक्षय हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा की हत्या हो जाने से उत्तमन प्रकरण शारीर विरुद्ध चन्द्रगति शाह पव अन्य मानवीय अवृद्धिकर सब न्यायाधीश के सभी विचारणा के लिये लीबित है।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ छोड़े विशेषकर मिसाह ग्रीष्मांगना छोड़े स्थित कारखानों के मालकों ठदारा मजदूरों के अमान्य शोषण रोकने हम मजदूरों को सर्वाधित करने वाला शहीद क्रियोगी की हत्या से सर्वधित होने के कारण उपरौक्त प्रकरण मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरौक्त प्रकरण को सुन्नाह बंद करने भी चलाने के अदालतीय आदेश से मुक्ते निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश ठदारा प्रकरण की सुन्नाह पुनर्हुली अदालत में चलाने से चाय मिलने की खाते उमिंसा ग्रीष्मांगना मजदूर हुए हैं।

(५) यह कि उपरौक्त परिस्थिति में अम्बिका दिनीक २४-५-६५ की उक्त प्रकरण की सुन्नाह होने पर मैं मूर्ख अदालत वहा भूत्युक्त हुआ था, जहाँ मैं पाया कि हमारे म्हान नेता की हत्या की आरोपीणा अदालत की वैचाही पर छोड़ हुए हैं परंतु मुलाजिम कठघरा (Accused Box) लाती था, जबके छत्तीसगढ़ गुवितमौर्चा के सद्य अनेक मजदूर ग्रीष्मांगना तक गठबंधील महीना लौग मील हुए थे।

(६) यह कि चाय की हुदूरी के बाद अदालतीय कायदाएँ हुए होने पर मैं अदालत कहा में रसीगह बैच पर बैठ गया था एवं मुक्ते अभिवतणाओं व पुलिस कार्पॉल को बैठाने के लिये बैच से उठा किया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण को सुन्नाह के दौरान अधिकता और एवं छत्तीसगढ़ गुवितमौर्चा के सर्वधित मजदूर साथीयों की अदालत कहा में बैठने की अवस्था हेतु एवं लूप्त प्रहृत आवेदन के सम्बन्ध में यह शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथपत्र, डाकिया
शपथकर्ता, अमिंसा बाई

सत्यापन : - मैं उमिंसा बाई जीजे शुक्रन, सत्यापित करते हूँ कि शपथपत्र की कापिडका १ से ७ तक के कथन भौति जानकारी से सही है, अतः आज दीनीक २४-५-६५ बोपठीपर, समझार अना छत्तीसगढ़, वा. भै कर दी।

शपथकर्ता,

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूँ।

S. M. S.

शपथपत्र,
डाकिया

२४-५-६५

214073/II

S. P. Ogranal

24/15/95

महाराष्ट्र विधान सभा
विधायक दल की सदस्य
कृष्ण शर्मा

कृष्ण शर्मा

महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री 24/5/95

मुख्यमंत्री

S.P. Ogranal


(कृष्ण शर्मा विधायक दल की सदस्य)

मुख्यमंत्री

24/5/95

D. Sanjiv
(D. Sanjiv)
Advoc.





मन्दा: श्रीगंगन पातिक कीटोरी, लू (मुम्पे)

- शपथ-पत्रः -

मैं माना दूँ जौजे का राम, उम् ३५ वाल नियमी धासोदार नार
जामुल त्सेल व जिसा दुः नियालेसित कथन रमध्यूक कथन करती हूँः -

(१) यह कि मैं उपरौक्त पते पर नियमी करते हूँ तथा इत्तोसगढ़े मुकिन्नीचा
की सदैय हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद र्हकर गुहा नियैगी जै को हत्या हो जाने
से उत्पन्न प्रकरण शासन विषद चन्द्रकान्त राव एवं अस्य पाननाय ठिकानीय आतिरैक्त
सत्र न्यायाधीश के सम्भा विचारणा के लिये लाभित है।

(३) यह कि इत्तोसगढ़े दौत्र में विशेषकर भिलाह औरांगिक दौत्र में स्थित
कारखानों के मालिकों ठारा मजदूरों के अमान्यीय खोलाण दौकने हम सजदूरों को
संगठित करने वाला शहीद नियैगी की हत्या से सर्वधित होने के कारण उपरौक्त
प्रकरण भैर लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरौक्त प्रकरण की सुन्नाह बद करने में चला ने के अदालतीय
आदेश से मुक्त निराश हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश ठारा प्रकरण की
सुन्नाह पुनः खुली अदालत में चलने से न्याय मिने के भैरो उपरी देवदूत शुह है।

(५) यह कि उपरौक्त परिस्थिति में अक्षय दिनीक २४-५-६५ को उक्त
प्रकरण की सुन्नाह होने पर मैं भी अदालत कहा में उपस्थित हुआ था, जहाँ भैर
पाया कि हमारे मान नेता को हत्या के आरोपणां अदालत का भैरो पर भैर
हुए है एवं उसका नटपारा (Custody Box) राती था, जिसके इत्तोसगढ़े
मुकिन्नीचा के सुव्यय अनेक मजदूर और यहाँ तक कह वकील म्होद्य लोग भी रहे थे।

(६) यह कि वाय को छुट्टो के बाद अदालतीय कायवाही शुर होने पर मैं
अदालत का भैर लोग है एवं पर भैर गया था एवं मुक्त अभ्युक्ताणों व पुलिस
कार्यों को छाने के लिये भैर से उठा लिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुन्नाह के दौरान अधिकारी एवं इत्तोसगढ़े
मुकिन्नीचा के सर्वधित मजदूर सार्थीयों को अदालत कहा में बैठने की व्यवस्था ऐतु
प्रस्तुत आवेदन के सार्थक में यह रमथन्यव प्रस्तुत है।

इन्हीं
मानकार्य

सत्यापनः - मैं माना दूँ जौजे का राम, सत्यापित करता हूँ एवं रमथ-पत्र को
कार्यहारा २ से ७ तक के अनुन भैरो जानकारी से सहो है, अत आज दिनीक २४-५-६५
को पढ़ार, गम्भार आना उत्तमतम् लुप्ता में कर दूँ।

मैं शाश्वात्ता को पञ्चान्तरा हूँ।

कृष्ण
निकाली

दिन १०
मार्च १९६५


অসম মন্ত্ৰ

~~कर्तव्यानुसारी~~ ~~निवास नगर कालेज~~ ~~निवास नगर कालेज~~
~~निवास नगर कालेज~~ ~~निवास नगर कालेज~~ ~~निवास नगर कालेज~~
D. Samjivi
Advocati
24/5/95

S. P. Dgranal

2415195





मुम्हां श्रीमान् पालक हनौटरा, बु (पंचवं)

- शपथ - पत्र : -

मैं, कुलारी बाल जीजे बलदाऊ, उमेर ३० साल साकिन धासीदास नाम भिलाह ताल्लुके व जिला दुर्ग लोहा हूँ जो कि नीचे लिये निजातेलित कथन रपथमूर्ख करता हूँ :

(१) यह कि मैं उपरौक्त पते पर निःस करता हूँ तथा इत्तीसगढ़े मुक्तिमोद्ध की सदस्य हूँ ।

(२) यह कि हमारे नेता शहोद रंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्तम प्रभाषण शासन विरुद्ध चक्रवाच शाह एवं अन्य मानवीय विदर्भ आंतरिकत सत्र न्यायाधीश के सम्मा विवाहा के लिये लाभित है ।

(३) यह कि इत्तीसगढ़े दौत्र में विशेषकर भिलाह और्ध्वांगिक दौत्र में इधत लाइकानों के भालिकां बदारा मजदूरों के अमान्य शिष्य रौकने हम मजदूरों की संगठित करने वाला शहोद नियोगी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरौक्त प्रकरण में लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है ।

(४) यह कि उपरौक्त प्रकरण को सुन्नाह बंद करने भूलाने के अदालतीय आदेश दे दुके निराशा हुँ थो लोकिन उक्त न्यायालय के आदेश बदारा प्रभाषण की सुन्नाह पुनः लुली अदालत भै चलने से चाय मिसने की भौति उपर्योग मजदूर हुँ है ।

(५) यह कि उपरौक्त पाठ्यस्थान भूलाज दिनांक शुक्र ५-८-८५ को उक्त प्रभाषण को सुन्नाह होने पर मैं पी अदालत कहा भै उपस्थित हुआ था, जहाँ मैं पाला कि हमारे फ्रान नेता की हत्या के आरोपण अदालत की बैठों पर ऐ हुए हैं एवं मुख्यमन्त्री कर्तवरा (त्रिपुरारी ८०५) खाली था, जबकि इत्तीसगढ़े मुक्तिमोद्ध के तद्य अनेक मजदूर और यही तक कह वकील महोद्ध लोग भै रहे थे ।

(६) यह कि चाय की छुट्टो के बाद अदालतीय कायवाहो शुरू होने पर भै अदालत कहा मैं रखी गई बैच पर बैठ यथा था एवं दुके अभिनन्दनांव पुलिस कार्यालय की छठाने के लिये बैच से उठा लिया गया ।

NO. (७) यह कि उक्त प्रकरण को सुन्नाह के दौरान अधिकता और एवं इत्तीसगढ़े मुक्तिमोद्ध के संबंधित मजदूर सामियाँ को अदालत कहा भै बैठने की व्यवस्था देते हुए उक्त शावे दन के सम्बन्ध में यह रपथपत्र प्रस्तुत है ।

मुख्यमन्त्री : - मैं कुलारी बाल जीजे बलदाऊ, राल्यापित अरति हूँ कि रपथमूर्ख की काणिङ्का २ से ७ तक के कथन भौति जानकारों से सही है, अतः आज दिनांक २४-५-८५ को पढ़ाकर, समझ कर अना लिखा जाना भै लागू है ।

भै शमालता को पहचानता हूँ ।

D. Samji Ramji
Advocate

शमालता,

मुख्यमंत्री



अ.पि. मुख्यमंत्री का

मुख्यमंत्री का

नाम : डॉ. संजीव राजा

दस्ती द्वारा दी

नाम परामर्शदाता

डॉ. संजीव राजा

मुख्यमंत्री का

24/5/95

S. P. Agarwal

Samjiv -

(D. Samjiv
Adv.)

24/5/95

